

✓
सूचना का अधिकार अधिनियम:2005 की धारा 4(1)(ख) से सम्बन्धित 01 से 17 विन्दुओं की सूचना झोंसी परिक्षेत्र, झोंसी:-

1— परिक्षेत्र रत्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2— जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य:— जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यवितयों/संरक्षणों द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित किया जाना।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य:— अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।

3— प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आन्तरित करना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना।

राहायक जनसूचना अधिकारियाँ की शक्तियाँ/कार्य अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।

4— निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।

5— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों वा अनुपालन करना/कराना।

6— दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित हैः—

- (1)—कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- (2)—कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- (3)—पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- (4)—शासन/अन्य के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- (5)—आपीलीय प्रार्थना पत्र।

7—सुरक्षात नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8—सुरक्षात नियमों के अनुसार कार्यवाही वीर जाती है।

9—जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10—सुरक्षात नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11—सुरक्षात नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

12—सुरक्षात नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

13—सुरक्षात नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

14—सुरक्षात नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

15—सुरक्षात नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16—परिक्षेत्र रत्तर पर जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी के पदनाम एवं कार्यों का विवरणः—

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1	2	3	4
1—	श्री जोगेन्द्र कुमार	पुलिस उप महानिरीक्षक/ आपीलीय अधिकारी	पर्यवेक्षण अधिकारी झोंसी परिक्षेत्र झोंसी
2—	श्री महेन्द्र कुमार	ए०एस०आई०(एम)/ सहायक लिपिक/प्रधान लिपिक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत व्यवितयों/संरक्षणों द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत किया जाना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना तथा जनसूचना से सम्बन्धित अन्य समस्त कार्य करना।
3—	श्री रमेश्वर पाण्डेय	कान्स० /सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचनायें समय से उपलब्ध कराना एवं समस्त अग्रिमताओं का रख—रखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्माता करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्यूटर में अदान करना।

17—सुरक्षात नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

१५/१२/२०२३
जनसूचनाधिकारी
कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक
झोंसी परिक्षेत्र, उ०प्र० झोंसी।